<u>न्यायालय – सिराज अली, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर</u> जिला –बालाघाट, (म.प्र.)

<u>आपराधिक प्रकरण क.798 / 2014</u> संस्थित दिनांक—03.09.2014

<u>निर्णय</u>

<u>(आज दिनांक 03 / 09 / 2014 को घोषित)</u>

निष्कर्ष

अभियुक्त के विरूध्द आरोपित अपराध हेतु पूर्व दोषसिध्दि का प्रमाण नहीं है। अभियुक्त की स्वेच्छया एवं स्पष्ट अपराध स्वीकारोक्ति के आधार पर उसे धारा—279, 337 भा.दं.सं. के आरोप में दोषसिद्ध ठहराया जाता है। प्रकरण की परिस्थितियों में अभियुक्त को परीवीक्षा प्रावधान का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता हैं।

दण्डादेष या अन्य अंतिम आदेष

दण्ड के प्रष्न पर विचार किया गया। अपराध की प्रकृति, प्रकरण की परिस्थितियों में अभियुक्त को प्रमाणित अपराध के आरोपों में दोषसिध्दि कर भा.दं.सं. की धारा—279, 337 में कमशः 1,000/—रू., 500/—रू. कुल 1,500/—रू. (एक हजार पांच सौ रूपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता हैं। अर्थदंड अदायगी में व्यतिक्रम पर अभियुक्त को 15—15 दिन का साधारण कारावास भुगताया जावे।

जप्तषुदा वाहन क्रमांक—के०ए० 03/एम०एन० 1405 वैगानार कार हिफाजत नामा में विवेक पिता किसनलाल साहू उम्र 24 साल, निवासी वार्ड नं. 15 बैहर थाना बैहर जिला बालाघाट को दिया गया है। जप्तशुदा वाहन रजिस्टर्ड स्वामी को प्रदान किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(सिराज अली) न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर, जिला–बालाघाट (सिराज अली) न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर, जिला–बालाघाट